



संजीवनी

वर्ष 2020-21 अंक 13

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

5वां व 6ठा तल, प्रशासनिक खंड
क.रा.बी. अस्पताल परिसर
बसईदारापुर, नई दिल्ली-110015

<https://tinyurl.com/4chynpjp>







संजीवनी

तेरहवां अंक
वर्ष 2020-21

-: संरक्षक :-

डॉ. अंशु छाबड़ा

निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली

-: संपादक :-

श्री सतीश कुमार

सहायक निदेशक (राजभाषा)

-: उप संपादक :-

श्रीमती गीतांजलि अंतिल

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

-: संपादन सहयोग :-

श्री गौतम भारती, सहायक

-: विशेष आभार :-

डॉ. मनोज कुमार, उप भंडार प्रबंधक

-: पत्रिका समिति :-

डॉ. सत्येंद्र सिंहल, एस.ए.जी.

श्री सतीश कुमार, सहायक निदेशक

श्री आर.पी. मीना, सहायक निदेशक

श्री संदीप स्याल, सहायक निदेशक

-: प्रकाशक :-

राजभाषा शाखा

(निःशुल्क एवं केवल विभागीय परिचालन हेतु)

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों एवं तथ्यों से विभागीय सहमति आवश्यक नहीं है। रचना का मूल होना या न होना रचनाकार की स्वयं की जिम्मेदारी है।

अनुक्रमिका

क्र.सं.	शीर्षक/लेखक	पृष्ठ सं.
1.	संदेश	2 - 5
2.	संरक्षक की कलम से	6
3.	संपादकीय	7
4.	मेरी स्वप्न-सुंदरी - डॉ. ताहिर हुसैन	8
5.	राजभाषा निरीक्षण का महत्व - श्री त्रिल	9 - 10
6.	जीवन की पारी, कोरोना से हारी - अनिल ठाकुर	11
7.	कोरोना वायरस के साथ जीवनशैली - विजय कुमार	12 - 13
8.	विश्वास - विजय कुमार	14
9.	राजभाषा नियम, 1976	15 - 18
10.	हंसना झूठी बातों पर - सोनू रानी	19
11.	लपज़ - सोनू रानी	20
12.	कुबड़ी - डॉ. गौतम चक्रवर्ती	21 - 23
13.	नया इतिहास बनाते हैं - रमेश चंद पवार	24
14.	आत्मनिर्भर भारत - अंजु कपूर	25
15.	ज़िंदगी - अनिल ठाकुर	26
16.	संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु जांच बिंदु स्थापित करना	27 - 29
17.	आधुनिकता (एक पुनर्विलोकन) - दीपक कुमार मीना	30
18.	कविताएं - उर्मिला	31
19.	मेरी आँखों में आँसू हैं... - दीपक कुमार जैन	32
20.	चलो गांव की ओर चलें - गौतम कुमार भारती	33
21.	वर्ष 2020-2021 के दौरान खरीदी गई पुस्तकों की सूची	34
22.	हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम	35 - 36
23.	हिंदी ज्ञान संबंधी परिभाषाएं	37
24.	लॉकडाउन का अनुभव - अनिल कुमार वर्मा	38 - 39
25.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज	40
26.	बाबा की रानी हूँ - ध्रुव प्रसाद	41
27.	क.रा.बी. निगम हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार स्वीकृति - वर्ष 2019	42
28.	मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन पुरस्कार प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार स्वीकृति - वर्ष 2019-20 एवं राजभाषा पखवाड़ा पुरस्कार	43
29.	आजादी और देश प्रेम - विनोद कुमार	44
30.	कविता - उर्मिला	45
31.	डाक-टिकट संग्रह - देवेंद्र कुमार	46
32.	संपूर्ण भ्रम - दीपक कुमार मीना	47
33.	प्रिय तुम बिन - माया कुमारी	48 - 49
34.	रे मनुज, तुम धीर धरो - आयुष कुमार	50
35.	आज की व्यथा - अनिल ठाकुर	51
36.	संस्कार-नये दौर का - प्रभात रंजन	52
37.	है फर्ज तेरा - रमेश चंद पवार	53
38.	आज और कल - लता वर्मा	54
39.	कविता - रमेश चंद पवार	55
40.	दिनांक 22-01-2021 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की झलकियाँ	56



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhavan, C.I.G. Road, New Delhi-110002

website : www.esic.nic.in, www.esic.india.org



संदेश

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली अपनी गृहपत्रिका 'संजीवनी' का तेरहवां अंक प्रकाशित करने जा रहा है, यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। किसी कार्यालय की पत्रिका का निरंतर प्रकाशन कार्मिकों की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। अतः पत्रिका न केवल विचारों एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपितु कार्मिकों की सहभागिता एवं उत्साह के प्रदर्शन का भी माध्यम होती है। इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिक बधाई के पात्र हैं तथा यह पत्रिका कार्यालयीन वातावरण को हिंदीमय बनाने के लक्ष्य में सफल हो, इसी शुभकामना के साथ.....।

अनुराधा प्रसाद

महानिदेशक

मुख्यालय, क.रा.बी. निगम



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhavan, C.I.G. Road, New Delhi-110002

website : www.esic.nic.in, www.esic.india.org



संदेश

यह हर्ष का विषय है कि निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली अपनी गृहपत्रिका 'संजीवनी' का तेरहवां अंक प्रकाशित करने जा रहा है। कार्यालय की गृहपत्रिका राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा कार्मिकों को हिंदी प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में एक प्रेरक का कार्य करती है। आशा है कि यह पत्रिका इसी प्रकार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रहेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं।

एम.के. शर्मा
बीमा आयुक्त (रा.भा.)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhavan, C.I.G. Road, New Delhi-110002

website : www.esic.nic.in, www.esic.india.org



संदेश

यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली अपनी गृहपत्रिका 'संजीवनी' का तेरहवां अंक प्रकाशित करने जा रहा है। पत्रिका के माध्यम से कार्मिकों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है तथा वे हिंदी में कार्य करने एवं लेख, कविता आदि के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार हिंदी गृहपत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार में एक अहम भूमिका का निर्वहन इसी प्रकार करती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ.....।

डॉ. आर.के. कटारिया
चिकित्सा आयुक्त
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhavan, C.I.G. Road, New Delhi-110002

website : www.esic.nic.in, www.esic.india.org



संदेश

यह हर्ष का विषय है कि निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली अपनी गृहपत्रिका 'संजीवनी' का तेरहवां अंक प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका का निरंतर प्रकाशन एक सामूहिक एवं सराहनीय प्रयास है तथा भाषायी सौहार्द एवं संवेदनशीलता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। पत्रिका इसी प्रकार राजभाषा हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता एवं सकारात्मक नजरिए के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, इसी शुभकामना के साथ.....।

डॉ. प्रेमलता चौधरी
चिकित्सा आयुक्त
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम



संरक्षक की कलम से

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली की वार्षिक हिंदी गृहपत्रिका “संजीवनी” के तेरहवें अंक को ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न अनेक बाधाओं के आने पर भी हमारे कार्यालय की राजभाषा शाखा के कर्मचारियों के उत्साह एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) के प्रयासों से पत्रिका का प्रकाशन संभव हो पाया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

इस वर्ष यह पत्रिका अस्पताल परिसर के अपने नए कार्यालय से प्रकाशित हो रही है। निदेशालय पहले भी क.रा.बी. अस्पताल परिसर में ही था। अनेक वर्षों के बाद कार्यालय एक बार पुनः अपने पुराने पते में स्थापित हो गया है।

हिंदी पत्रिका को इस वर्ष पहली बार डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जा रहा है ताकि तकनीकी युग में पत्रिका को पढ़ने का अहसास भी आधुनिक हो सके और पत्रिका कंप्यूटर और मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। कोरोना काल में गृहपत्रिका का प्रकाशन पेपरलेस (कागजरहित) और कॉन्टेक्टलेस (संपर्करहित) होना कोरोना से बचाव के लिए और भी आवश्यक हो गया है ताकि सभी के लिए इसकी सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इससे हिंदी के प्रचार-प्रसार में और सहायता मिलेगी।

डॉ. अंशु छाबड़ा
निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली



शंपादकीय

सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए मूल रूप से हिंदी में काम करें। ऐसी हिंदी, जिसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए और जो सरल, सहज हों और संप्रेषण में सक्षम हों। आवश्यक हो, तो अंग्रेजी के भी प्रचलित शब्दों, यथा, कंप्यूटर, की-बोर्ड, प्रिंटर, एक्स-रे, फ्रिज आदि शब्दों को लिप्यंतरण के माध्यम से लिखा जाए।

साथ ही, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के भी शब्द लिए जा सकते हैं, जो सामान्य प्रचलन में है और संप्रेषण के उद्देश्य को पूरा करते हैं। आज हिंदी विश्व के अनेक देशों में बोली-समझी और पढाई-सिखाई जाती है। अनेक क्षेत्रों जैसे इंटरनेट, मोबाईल फोन, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा, पत्रकारिता और बाजार में हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमें भी हिंदी को आगे बढ़ाने में अपने हिस्से का प्रयास अवश्य करना चाहिए।

इसी आशा और विश्वास के साथ यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

सतीश कुमार

सहायक निदेशक (रा.भा.)

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

मेरी स्वप्न-सुंदरी

जी चाहता है रम जाऊँ, उस अथाह स्वप्न-समुंद्र में,
हर इक बूंद में जिसकी महत्वाकांक्षा नृत्य करती है।
व रौंद दूँ उन संतृप्त शक्लों को, जो इन्हीं निरीह सपनों से
निराशा का पर्दा किया करती हैं।

क्या करूँ, काट दूँ, चीर दूँ, दंगाइयों की तरह, मेरे आवेग मजहब को,
या निकलवा दूँ सर्पदंश की तरह व मरा करूँ हर उस फुंफकार संग,
जहाँ कुंठा की रुह तड़पा करती है।

नहीं डरता मैं, कहता हूँ आओ, चले आओ, ऐ भूकंप चक्रवातों!
पर उखाड़ो सिर्फ संतृप्त मीनारों को, न कि उस गरीब, असंतृप्त कच्छ के किनारों को
आखिर इन मीनारों में ही स्वप्न-मृत्यु-घड़ी बसा करती है।

है विश्वास मुझे अपने आवेग-पौरुष व आशा-नारीत्व पर,
कि करेंगे उदय वो सितारा जो अपनी स्वप्न-सुंदरी से सर्पदंश को कुंठाएगा,
और स्वप्न-पग की धोक कराएगा।

सुनो पुकार रही वो चाँदनी मुझे, प्रणय को, चंदा संग मेरे सितारे का,
तो रोको मत, सोने दो मुझे, स्वप्न-सुंदरी संग, उस पवित्र स्वप्न-शैया पर,
जहाँ महत्वाकांक्षा की मखमल बिछा करती है।
फिर रोकना है तो रोको उस भोर को, मेरी स्वप्न-सुंदरी के चोर को।

फिर क्यों ना सोऊँ मैं, क्यों ना खोऊँ मैं, क्यों ना बैठूँ कल्पना-रथ पर मैं,
जब दिल ही यह कहता है कि यह भी कर सकता हूँ मैं और वो भी कर सकता हूँ मैं.....

डॉ. ताहिर हुसैन

मानसिक रोग एवं नशामुक्ति विभाग
क.रा.बी. अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली



राजभाषा निरीक्षण का महत्व

आजादी से पूर्व का जीवन और वर्तमान जीवन के मूल्यों, कार्यशैली और मानवीय व्यावहारिकता में काफी बदलाव देखा जा सकता है। जिन लोगों ने पराधीन जीवन के दिनों को देखा और आज के जीवन संदर्भ को भी देख रहे हैं, वे दोनों कालखंडों के अनुसार अच्छे भाग को याद कर सुखद अनुभूति कर रहे हैं। बदलाव होना ही प्रकृति का स्वरूप है और इसी बदलाव से निरंतरता, स्पष्टता, संपूर्णता और विश्वसनीयता को बड़ी सरलता से स्वीकार करते हैं जो कि जीवन की आधारशिला है।

यदि हम सर्वहारा वर्ग और अभिजात्य वर्ग की जीवनचर्चा के बारे में विचार करते हैं तो अनेक अध्याय सहज ही प्रकट होने लगते हैं। दोनों वर्ग के भाषायी क्षेत्र, वैचारिक क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बड़ा भारी परिवर्तन पाया जाता है। ऐसे अनेक परिदृश्य रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय परिवेश में कई उतार-चढ़ाव होते हुए देखा गया है। आधुनिक युग में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जीवनशैली और कार्यशैली को बदलते हुए देखा जा सकता है। यही स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व भावना अंगीकार की गई है।

हर क्षेत्र के ज्ञान सौंदर्य अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की साहित्य साधना में छुपे विविध रसों को सहजता से महसूस किया जा सकता है। भाषायी बोध को अनुवाद के जरिए परिवर्तन कर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय समझ और उसके चिंतन में क्रांतिकारी चेतना देखी जा सकती है। ज्ञान के पिपासु मनुष्य को क्षेत्रीय सीमाएं और भाषा बोध आदि विषय सीमित नहीं कर सकते, ऐसा मानना है।

इसी आधार पर भारत के संविधान के भाग 17 में अध्याय 1 से अध्याय 4 अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग और अभिवृद्धि के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। भारतीय जनजीवन में हिंदी के प्रति लगाव है और अधिकांश साहित्य हिंदी में ही प्रकाशित हो रहा है। व्यापारिक, वाणिज्यिक, खेलकूद और सामाजिक क्षेत्रों में अब हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति बहुत रुचि दिखाई देती है। शैक्षणिक संस्थानों, अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में, राजनीतिक दिशा में भी हिंदी भाषा बहुत अच्छे ढंग से फलफूल रही है। यही हिंदी भाषा के प्रति सम्मान है।

इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास जारी है। 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्रों में लक्ष्यों के प्रति सजगता और जागरूकता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। राजभाषा अनुभाग के राजभाषा संवर्ग के पदाधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे हिंदी कार्यान्वयन में लक्ष्यगामी परिणाम प्राप्त हो सकें। इसी कड़ी में संघ की राजभाषा नीति, जांच बिंदु आदि विषयों के प्रति भी ज्ञानवान होना निस्संदेह कार्यालय हित में होगा।

वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा निरीक्षण के लिए भी लक्ष्य रखा गया है। वर्ष में 25% तक राजभाषा निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। मेरा मानना है कि राजभाषा निरीक्षण किया जाना बहुत लाभकारी होता है। इसके उदाहरणस्वरूप कहा जाता है कि श्रम मंत्रालय, मुख्यालय के अलावा निगम कार्यालयों के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के द्वारा राजभाषायी निरीक्षण किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य अंचल के उपनिदेशक (राजभाषा) के द्वारा भी निर्धारित कार्यालयों / अस्पतालों आदि में निरंतर निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हिंदी के कार्यान्वयन में बढ़ोतरी होने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क स्थापित होता है। उनके वातावरण और कार्यशैली को जानने-समझने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, राजभाषा संवर्ग के पदाधिकारियों तथा राजभाषा प्रभारी की समस्याओं के बारे में भी विधिवत जानकारी मिलती है। कार्यालय अध्यक्ष से भी मिलकर विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करने का भी अवसर मिलता है। इसी मौके पर, स्थानीय दिनचर्या और कार्यालय दिनचर्या को समझने का पूरा-पूरा मौका मिलता है।

पिछले वर्ष कोविड के आगमन से भारतीय जीवन बहुत अस्त-व्यस्त हो गया है। हर क्षेत्र में हलचल महसूस की गई है। सरकारी तंत्र भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे चलती हुई ट्रेन को अचानक ब्रेक लगा दिए गए हों। यह बहुत दुखद घटना रही है। इसके दृश्य और घटनाक्रम बड़े विदारक बन गए हैं। अंत में, जीवन को चलना ही है और निरंतर आगे बढ़ना ही है। इसका यही शाश्वत सत्य है।

आज के संदर्भ में, जीवन ने पुनः रफ्तार पकड़ी है। सरकारी तंत्र ने ज्यादातर कंप्यूटर के जरिए काम को निपटाने का रास्ता चुना है। आज सब लोग कंप्यूटर पर काम करने को बाध्य से हैं। “वर्क फ्रॉम होम” की परिभाषा मानो फलीभूत हो रही है। युवा-पीढ़ी का जीवन चक्र अब नई दिशा को फिलहाल अंजाम देने पर हावी है। भविष्य में क्या प्रकट होगा, वह भविष्य के गर्भ में ही छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्धिवादी व्यक्तियों से आशा की जाती है कि “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” के लिए सब एकजुट हों।

इस कड़ी में, यह ध्यान दिलाना आवश्यक है कि अब ऑनलाइन माध्यम से हिंदी निरीक्षण और हिंदी बैठकें तथा हिंदी कार्यशालाएं आदि आयोजित की जा रही हैं। इसके जरिए उद्देश्यपरक कार्य संभव हो पा रहा है। ऑनलाइन के जरिए कार्यालयी को निपटाने में नए-नए अनुभव महसूस किए जा रहे हैं। तकनीकी संयंत्रों का महत्व और उपयोगिता को सहजता से महसूस किया जा रहा है। शिक्षा में भी तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखा जा सकता है। हर कोई इस क्षेत्र में दक्ष होना चाहता है ताकि कार्य-निष्पादन श्रेष्ठ बन सके। अब यही हमारी प्रथम इच्छा रहती है।

फिलहाल ऑनलाइन राजभाषा निरीक्षण का महत्व यही दिख रहा है कि मितव्ययता के साथ एक ही समय में एक ही मंच पर अनेक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण किया जा रहा है। उनके साथ सीधी बात कर विचारों का आदान-प्रदान संभव हो पा रहा है। पीपीटी आदि का भी प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहता है। “वास्तविकता का आईना होती है प्रायः ऑनलाइन गतिविधियां”। “राजभाषा निरीक्षण को बढ़ाओ और लक्ष्यप्राप्ति में जुट जाओ”।

त्रिल

उप निदेशक (राजभाषा)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम





जीवन की पारी कोरोना से हारी

खेली थी जीवन में सबने, बहुत ही लंबी-सी इक पारी,
आज सिमट कर रह गयी है, वो घर के अंदर चारदीवारी।

जीवन की पिच पर, बस यूँ ही भाग के रन लेते ही रहे,
मार के चौका, और कभी छक्का, बस यूँ आगे बढ़ते रहे।

दिन और रात की पारी में हम, कभी-कभी यूँ आऊट भी हुए,
पर फिर से बैठ उठाकर दौड़े, ज़िम्मेदारी की नो बॉल लिए।

आज अचानक एक ही पल में, आऊट हो गईं टीमें सारी।
हाथ में सिर्फ एक बल्ला था, किसके साथ हम खेले पारी।
जीवन में ये सोचा नहीं कि लेके कभी एक अल्प विराम,
काम को तजकर, ज़रा देख लें, क्या होता है ये आराम।

इस शतक बनाने की होड़ में, दुनिया ने सब बाउंड्री तोड़ी,
कुदरत को भी मार के चौका, कर ली अपनी छाती चौड़ी।

पर ये नहीं सोचा, आसमान में जाकर भी, बॉल गिरेगी पैरों में,
जो सुकून अपनों में मिलेगा, कहां ढूँढ़ रहा गैरों में।

ये ही सोच कर, ईश्वर ने, फिर एक भयानक प्रलय दिखाया,
प्रकृति के इस बिगड़े रूप को, सुंदर-सा जामा पहनाया।
मानव को कर प्रकृति से दूर, घर के अंदर कैद किया,
अपनी भूल का पश्चाताप, करने का एक मौका है दिया।

पर ये मानव पुतला है ऐसा, जो समय के साथ बदले है रंग,
अभी खड़ा है हाथ जोड़ के, कल को बदले जीने का ढंग।

जीवन का जो समझ इशारा, गर ये कर्म सुधारेगा,
जीवन की फिर इस पारी में, कई नए शतक बनाएगा।
कई नए शतक बनाएगा।



अनिल ठाकुर

कार्यालय अधीक्षक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

कोरोना वायरस के साथ जीवनशैली

- निबंध प्रतियोगिता - प्रथम पुरस्कार

वर्तमान में समस्त विश्व एक अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है। संभवतः यह प्रथम बार है कि संसार में एक ऐसी महामारी फैली है, जिससे विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी की। चीन के बुहान प्रांत से शुरू हुई इस महामारी ने देखते-देखते समस्त संसार को अपनी चपेट में ले लिया। सारा विश्व मानो ठहर-सा गया। लॉकडाउन अथवा तालाबंदी ने पूरे संसार के मनुष्यों को उनके घरों में कैद-सा कर दिया। गाड़ियों के शोर से पटी रहने वाली सड़कें मानो मानव को देखने के लिए तरस गईं। जिन बाजारों में इंसान का चलना मुश्किल था, वहां सन्नाटा पसर गया। सड़कें सुनसान, बाजार वीरान, इन सबके बीच यदि कोई खिलाखिला रहा था तो वह थी प्रकृति। मानो सदियों बाद उसके चेहरे पर रौनक आई थी। जिस ओजोन परत के छिद्र को भरने के लिए बड़े-बड़े सम्मेलन हुआ करते थे, वह छिद्र कुछ दिनों की तालाबंदी में स्वतः ही भर गया। नभ, जल और थल सभी के जीव-जंतु मानो पहली बार खुलकर सांस ले रहे हों।

इस महामारी ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि यदि मानव ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की तो

प्रकृति को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ेगा। प्रकृति ने मानव को यह भी बता दिया कि वह इस धरती का केवल निवासी है, मालिक नहीं। यही कारण है कि आंखों से न देखे जा सकने वाले एक सूक्ष्मजीव ने धरती के सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले मानव को पंगु बना दिया।

अब प्रश्न उठता है कि यह सब हुआ क्यों? इसका उत्तर इतना-सा ही है कि जिस मानव पर प्रकृति को संतुलित बनाए रखने की, इसके समस्त प्राणियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उसी मानव ने सबसे अधिक असंतुलन उत्पन्न किया और प्रकृति की रक्षा करने के स्थान पर उसका भक्षण शुरू कर दिया। यदि जीव-जंतुओं को इंसान माने तो मानव उनके लिए शैतान से भी अधिक खतरनाक और घातक है।

“यह धरा है सबकी, नहीं इसका कोई मालिक,
मानव ही नहीं, सभी जीव-जंतुओं का है इस पर
अधिकार”

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ ने स्पष्ट कर दिया है कि यह महामारी दशकों तक चलने वाली है, अर्थात् अब हमें कोरोना के साथ ही जीने की

आदत डालनी होगी। यह तभी संभव होगा, जब हम अपनी जीवनशैली में बदलाव लाएंगे। इसके लिए एक-दो नहीं, कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें यह दंभ त्यागना होगा कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और सभ्य है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम धरती पर रहने वाले लाखों-करोड़ों जीव-जंतुओं में से एक हैं। इस धरती पर जितना अधिकार हमारा है, उससे ज्यादा उन प्राणियों का है, जो मानव की उत्पत्ति से लाखों वर्ष पूर्व से धरती पर रहते आ रहे हैं।

ऐसा क्यों है कि विगत कुछ दशकों में स्पेनिश फ्लू, इबोला, सार्स आदि बीमारियों, जिनका मानव से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, मानव जीवन को प्रभावित करने लगीं। इसका भी स्पष्ट कारण है। मानवों का वन्य-जीवन में अतिक्रमण व हस्तक्षेप। यह सभी बीमारियां मानव तक कैसे पहुंची? क्योंकि मानव ने अपने खान-पान में अक्षम्य बदलाव किए। चीन के पशु बाजारों को देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाए, वहां हर प्राणी, चाहे भारी-भरकम हाथी हो या छोटे-छोटे दीमक, काकरॉच, वहां हर चीज को केवल भोजन की वस्तु समझा जाता है। निरीह प्राणियों को जीवित ही खाने की थालियों में परोसा जाता है। इतना सब कुछ प्रकृति को कुपित करने के लिए पर्याप्त है। यदि हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो इसका एक ही उपाय है, जानवरों को जंगल में ही रहने दिया जाए। यदि हम उनकी जीवन प्रणाली से हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो उनसे होने वाली बीमारियां भी हमसे दूर रहेंगी।

कोरोना को काबू में रखने का एक उपाय हमारी स्वयं की स्वच्छता भी है। हमें साफ-सफाई को अपनी जीवनशैली में आत्मसात् करना होगा। सफाई को जीवन का मूलमंत्र बनाना होगा। यदि हम निजी एवं सामुदायिक स्वच्छता अपनाएंगे तो कोरोना जैसी महामारियों को घातक होने से रोका जा सकता है। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से निजात के लिए अभी तक कोई दवा अथवा इंजेक्शन / ईलाज नहीं मिला है। परंतु जितने

भी देशों ने इस महामारी पर काबू पाया है, उनका सबसे बड़ा हथियार 'स्वच्छता' है। अतः स्वच्छता को अपनी जीवनशैली का अंग बनाते हुए इसका प्रसार परिवार व समाज में करना होगा।

इसके अतिरिक्त हमें अपनी जीवनशैली में और भी व्यापक बदलाव करने होंगे। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा तथा इसके बनाए नियमों पर ही चलना होगा। हमें प्रकृति की बनाई हर कृति का सम्मान करना होगा, चाहे वह आकाश में विचरने वाले पक्षी हों अथवा सागर की अथाह गहराईयों में रहने वाले जीव-जंतु। हमें उनके वातावरण को दूषित करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो जो हम प्रकृति को देंगे, वह हमें ब्याज सहित लौटाएगी, कोरोना इसका ताजा उदाहरण है। हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि वन्य-जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में रहे, इसके लिए हमें वन-क्षेत्र को बढ़ाना होगा।

प्रकृति ने सबके लिए विशेष आहार की व्यवस्था की है। हिंसक अथवा मांसाहारी जीव दूसरे प्राणियों को मारकर इसलिए खाते हैं क्योंकि वह उनका आहार होते हैं। इससे प्राकृतिक सतुलन बना रहता है। परंतु प्रकृति ने मानव पर विशेष कृपा की हुई है। मानव अपना भोजन स्वयं उगा सकता है। इसके लिए उसे किसी प्राणी की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हमें शाकाहार को अपनाना होगा ताकि अन्य जीव-जंतुओं की बीमारियां मानव जीवन को प्रभावित न कर सके, जैसा कि कोरोना महामारी ने किया है। हमें 'वसुधैव कुटुंबकम्' को अपनाना होगा और पूरे विश्व को परिवार समझना होगा और उस परिवार में प्रकृति के सभी जीव-जंतु शामिल हों।



विजय कुमार

अवर श्रेणी लिपिक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

विश्वास

जीवन पथ पर घायल-सा पड़ा
बुझते दिए का प्रकाश हूँ।
हां, मैं तेरा विश्वास हूँ।

विफलता के डर से घबराया
सफलता की एक आस हूँ।
हां, मैं तेरा विश्वास हूँ।

संबंधों के जाल में उलझा हुआ-सा
परंपराओं को तोड़ने की एक हुंकार हूँ।
हां, मैं तेरा विश्वास हूँ।

जीवन के उच्चावचों पर डगमगाया
सबसे निराश, संतुलन की तलाश हूँ।
हां, मैं तेरा विश्वास हूँ।

पग उठा आगे बढ़, तोड़ जंजीरें समाज की
कोई साथ भले न हो इस जीवन संघर्ष में
मैं सदा तेरे साथ हूँ, क्योंकि
मैं तेरा विश्वास हूँ।



विजय कुमार

अवर श्रेणी लिपिक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

राजभाषा

(संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
- b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
- c. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- a. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;
- b. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात:-
- c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
- d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और
- e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
- f. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

- g. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;
- h. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;
- i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
- k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- l. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

- 1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
- 2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

- a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;
- b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।
3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।
4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

- a. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;
- b. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;
- c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;
- d. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि-

- i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;
- ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा; परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी

भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर—

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

- कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
- जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
- यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -

- कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
- केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी

का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

- यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
- उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

- मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
- यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

- मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
- केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस

योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

- c. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- d. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
- e. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
- f. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
- g. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;
- h. परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

- a. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में

यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

- b. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
- c. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

- a. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--
- b. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
- c. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।
- d. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, दिनांक: अगस्त, 2007
अधिसूचना

हंसना झूठी बातों पर

हमने जीवन की चौसर पर
दांव लगाए आंसू वाले
कुछ लोगों ने हर पल, हर दिन, मौके देखे, बदले पाले
हम शंकित सच पर अपने,
वे मुग्ध स्वयं के घातों पर
नयन हमारे सीख रहे हैं
हंसना झूठी बातों पर
हम तक आकर लौट गई हैं
मौसम की बेशर्म कृपाएं
हमने सेहरे के संग बांधी
अपनी सब मासूम खताएं
हमने कभी न रखा स्वयं को
अवसर के अनुपातों पर
नयन हमारे सीख रहे हैं
हंसना झूठी बातों पर



सोनू रानी

सहायक निदेशक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

लफ़्ज़

लफ़्ज़ ही ऐसी चीज़ है
जिसकी वजह से इंसान
या तो दिल में उतर जाता है
या दिल से उतर जाता है
जिंदगी की इस कशमकश में
वैसे तो मैं भी काफी बिजी हूँ
लेकिन वक्त का बहाना बना कर
अपनों को भूल जाना मुझे आज भी नहीं आता
जहां यार याद न आए वो तन्हाई किस काम की
बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की
बेशक अपनी मंजिल तक जाना है
पर जहां से अपने ना दिखे
वो ऊंचाई किस काम की



सोनू रानी

सहायक निदेशक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



कुबड़ी

“तेरी इतनी हिम्मत! पैर काटकर रख दूंगा। कुबड़ी कहीं की.....”

चौक पड़ा, सांझ के समय दफ्तर से लौट रहा था, थके हुए शरीर को किसी तरह खींचते-खींचते अपनी सोच में खोए हुए चल रहा था। अचानक ऐसी एक चेतावनी सुनकर घबरा गया। सचेत होकर सामने देखा। मोहल्ले के मोड़ पर लोगों का एक जमावड़ा नजर आया, कोई मुठभेड़ चल रही थी – तप्त वातावरण! धक्कापेल करके झांका, देखा – तीन-चार बैल जैसे सांड नवयुवक के साथ तगड़ी बहस चल रही थी, एक निम्न वर्ग की महिला की, उपरोक्त गर्जना इनके प्रति की गई है। लौंडे एकजुट होकर असभ्य गालियां बरसा रहे हैं। इशारा बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जिसके साथ मुठभेड़ हुई, उसको आधी मानव ही कहना बेहतर होगा! ताज्जुब हो गया। शायद ही तीन या साढ़े तीन फीट होगी, कुबड़ी कुरूप एक औरत। दृश्यतः दोनों पक्ष की असमानता हैरान कर देने वाली है, पर इससे इस औरत का तो कोई लेना-देना ही नहीं लग रहा है। वह तो भीम जैसी भयानक होकर लड़ रही है, इन बैलों से! उसके जोश से मेरा होश उड़ गया। देखा आसपास कई जन जुट गए हैं – हर्ष से मजा ले रहे हैं, जैसे मदारी का खेल चल रहा है।

इस प्रदेश में मैं नव आंगतुक हूं, नौकरी की खातिर आना हुआ। नया वातावरण, नई भाषा, फिर भी जितना तक समझ में आया, उसका सारांश है – इन बदमाश लड़कों ने किसी छोटी लड़की के साथ छेड़खानी

की है। वह अकेली स्कूल से वापस आ रही थी, ये गंदी बातें फूंक रहे थे, उसके ऊपर और गंदी हरकत की है, औरत इसके ही खिलाफ है।

और थोड़ा आगे बढ़े। देखा, एक पंद्रह-सोलह साल की लड़की, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए, बेबस होकर रो रही है। शायद इसके साथ ही यह घटना घटी है।

ताज्जुब हो गया! यह लड़की तो लग रहा है रईस खानदान की है, उसके साथ तो इस लोहा लेने वाली औरत का कोई आनुवांशिक संबंध नहीं लग रहा। क्या पता नौकरानी होगी। पर जिस मिजाज से ये विरोध जता रहा रही है, उससे तो और भी आश्चर्य हुआ, विशेष रूप से चार लड़कों की बातें और अदाएं इतनी ही खतरनाक होती जा रही हैं कि पूछो मत!

तुरंत परिस्थिति की मैंने एक जांच कर ली।

वाह! इक्कड़ी हुई भीड़ से किसी सहारे की उम्मीद करना बेवकूफी है। ये मेरा महान भारत की वही जनता-जनार्दन है, जो कलयुग के भगवान की तरह सिर्फ दर्शक है - मुफ्त मजा लेने में माहिर है।

अब तक यह भी समझ में आ गया कि यह औरत भी मेरी तरह इधर नई है और उस लड़की के साथ इसका कोई नाता नहीं है। उसके आंखों के सामने ही हुई थी लड़की के साथ छेड़खानी। अकेली लड़की को इन

बदमाशों ने टोका। उसका इंकार न मानकर बदन पर हाथ डाला। लड़की विनती कर रही थी छुटकारा पाने के लिए, पर ये गिद्धों की तरह उस पर कूद पड़े। उसके बेसहारापन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। सुनसान जगह पर नहीं – बहुत लोग आते-जाते हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ा, लड़की को बचाने के लिए। लोगों की इस असंवेदनशीलता ने शायद लड़कों का हौसला बढ़ा दिया है, ये बेफिक्र होकर मनमानी कर रहे हैं।

आजकल हम सब भेड़ों जैसे लफड़ों से बच कर ही चलते हैं। कौन खुद को आफत में डाले, पर यह कुबड़ी औरत अलग धातु से बनी है शायद! वह सह नहीं पाई एक औरत का अपमान, जब कोई आगे नहीं बढ़ा तब यह ही लड़की की त्राता होकर अवतीर्ण हो गई।

हे भगवान! ये संभव है! कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, एक अनजाने के लिए ऐसे कोई खतरा मोल लेते हैं? मेरा तथाकथित शिक्षित स्वत्व ने एक चरम धक्का खाया। हैरान हो गया मैं। एक दुबली-पतली प्रतिबंधी औरत का इतना जोश! प्रतिकूल अवस्था में भी दूसरों के लिए इतनी करुणा! सच में मुझे विकल कर दिया। ऐसी दुर्घटनाएं तो आम हो गई हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी तो अक्सर हमारे चारों ओर होती ही रहती है, पर ऐसी घटना के ऐसे दिशा परिवर्तन ने मुझे भावुक बना दिया। मन में आया कि यह कुरूप कुबड़ी कोई मानव नहीं है – ये देवी है। जगतमाता, अबला नारी की रक्षा हेतु ही मां चंडी आई है, ऐसा अजीब चेहरा लेकर!

खैर घटना तुरंत और भी बिगड़ने लगी। मुझे भावुकता से वर्तमान में लौटाया। देखा, एक लड़के ने औरत को धक्का देकर गिरा दिया और लात मारने जा रहा है।

नहीं! और बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ मेरे लिए। आगे बढ़ा। तकदीर में जो भी हो परवाह नहीं! हम और कितना डरपोक बने? अगर ये अपाहिज औरत न हटकर दूसरों की लड़ाई अपना सकती है, खुद को जोखिम में डाल सकती है, तब मेरा नैतिक अधिकार नहीं है मैदान छोड़ने का!

ताव देकर मूँछ पे, कूद पड़े, ऊंची आवाज से बोले – ‘क्या हुआ!’

शायद कोई प्रतिरोध ये लड़के अपेक्षित नहीं कर रहे थे। मेरा यह रोब वाला स्वर, छह फुट का पहलवान जैसा देह, अभिजात चेहरा और शानदार पोशाक देखकर वे थोड़ा हिचक गए। तुरंत उनके चेहरों में बदलाव आने लगे, यह देखकर मैं और भी चढ़ गया।

“अभी दफा हो जा। थाने का नया अफसर हूँ। पांच मिनट में अंदर करवा दूंगा।” चारों तरफ देखकर बोला – “आप सब क्या मजा ले रहे हो। एक-एक थप्पड़ लगाओ इन लौंडों को!”

क्षणभर में मैजिक जैसा काम हुआ। चारों लड़के तुरंत रफूचककर हो गए। ऐसा ही होता है – जो गुनाह करता है, वह भयभीत हो जाता है जल्दी से। अत्याचारी के मन में डर भरा होता है। इसलिए थोड़ा-सा भी सच्चा प्रतिरोध उसका दम तोड़ देता है – वह मैदान छोड़कर भाग जाता है – पता था! आज और एक बार सबूत मिल गया।

अब उस महिला की तरफ घूमा। धक्के से गिरने की वजह से हाथ-पांव में खरोंच आई है, पर अजीब औरत! जरा-सी भी हैरान नहीं है, चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान लिए खड़ी है!

लड़की को पूछा – ‘तेरा घर कहां है?’

वह बोली – ‘पास ही’

मैं बोला – ‘जाओ, घर जाओ। आइंदा कोशिश करना अकेले नहीं घूमने की। साथियों के साथ होती तो शायद ये कुत्ते इतना भौंकने की हिम्मत नहीं करते।’ लड़की मुझे बोली – ‘नमस्ते अंकल!’ और चली गई। उसकी आंखों में मैंने कृतज्ञता के आंसू देखे। फिर औरत को पूछा – ‘नाम क्या है? क्या करती हो?’

वह शायद मुझे सचमुच पुलिसवाला सोचकर विस्तार से बोली – ‘राबेया सुल्ताना साब! कामबाई हूं। बिहार, आरा जिले की रहने वाली हूं। इधर मैं और मेरा शौहर आफताब रहते हैं। वह मजदूरी करते हैं साब।’

मैं अपने ही मन में बोला – ‘राबेया! तू सच में सुल्ताना ही है, जो अपनी हुकुमत पर छाई हुई है। किसी का दुख बर्दाश्त नहीं करती। तुझे सलाम!’

पता नहीं क्यों इस औरत को जानने के लिए आग्रह किया – पूछा – ‘तुम तो अजीब हो रानी। अकेली लड़ पड़ी।’

‘अकेली कहां थी साब! उस लड़की के सहारे के लिए किसी को तो आना ही था। खुदा नवाज ने मुझे चुना और देखो ना साब, अच्छे कामों में खुदा साथ देते हैं, आपको साथ-साथ भेज दिया। कोई आगे नहीं आता तो उस नहीं पुतली को लगता, अल्लाह नहीं है। मेरे मालिक ऐसा कभी नहीं होने देते!’ बोलकर वह हंसी पड़ी।

यकीन मानिए मैं देखता ही रह गया! कोई मानवी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? आज पता चला क्यों बोलते हैं – हंसी सबसे बेहतरीन प्रसाधन है मुंह

का, अगर वह हंसी परार्थपरता और सरलता से भरी हुई है तो परमात्मा दिखाई देते हैं।

राबेया शायद जल्दी में थी – चली गई – मैंने भी अपनी राह पकड़ी। एक मीठी-सी आवाज कहीं से आ रही थी – मरा हुआ भजन – शायद किसी के दिल से जबान में उभर रहा था –

“वैष्णव जन तो तेने कहिए जे

पीड़ परायी जाणे रे!

पर दुख्खे उपकार करे तोये

मन अभिमान ना आणे रे!”

हे परमात्मा! तुझे सलाम! आज तूने फिर से मुझे बता दिया – मानवता ही तू सबसे न्यारी है!!!



डॉ. गौतम चक्रवर्ती

क.रा.बी. निगम अस्पताल
झिलमिल, दिल्ली

नया इतिहास बनाते हैं

आओ मिलकर एक नया, इतिहास बनाते हैं,
हम अपने गाँव को औरों से, कुछ खास बनाते हैं।

हम आपस का भाईचारा,
और प्यार बढ़ाते हैं।
जात-पात का आपस में,
हम भेद मिटाते हैं।
हम खोया हुआ किसानों का,
विश्वास लौटाते हैं।
आओ मिलकर एक नया इतिहास बनाते हैं।

बुरे वक्त में एक-दूजे के हम काम आते हैं।
माता-पिता की सेवा का,
हम प्रण उठाते हैं।
हम बेरोजगार जवानों में
नई आस जगाते हैं।
आओ मिलकर हम एक स्वर्णिम भारत बनाते हैं।
हर गाँववासी व मजहब को,
शिक्षित बनाते हैं।
आओ मिलकर एक नया इतिहास बनाते हैं।

हर हाथ को रोजगार मिले,
एक ऐसा कानून बनाते हैं।
अपनेपन का अपने भाईयों को
अहसास कराते हैं।
आओ मिलकर एक नया इतिहास बनाते हैं।

किसानों को खेत उपज का,
उचित मूल्य दिलवाते हैं।
जो सबके हित की सोचे,
ऐसे संस्कार बनाते हैं।
अब छोड़ो शहर को 'प्यारे',
गाँव को निवास बनाते हैं।
हम अपने गाँव को औरों से,
कुछ खास बनाते हैं।
एक नया इतिहास बनाते हैं।



रमेश चंद पवार
अवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी. औषधालय, तिलक विहार

आत्मनिर्भर भारत

आज ग्लोबलाईज्ड वर्ल्ड में दुनिया के बाजारों के दायरे सिकुड़ कर सिमट गए हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपना आयात व निर्यात समृद्ध कर रहे हैं। भारत और चीन की तुलना करें तो पाएंगे कि सन् 1984 में दोनों देश लगभग एक ही स्थान पर थे। बीते वर्षों में चीन 7 गुना तेजी से भारत से मीलों आगे निकल गया है। अन्य एशियाई देश जापान, इंडोनेशिया, कोरिया इत्यादि भी भारत से तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। कुछ देश भारत से पीछे भी रह गए हैं, पर हमें तो आगे ही देखना है। एक देश, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, विश्व के सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। अनुमान लगाएं तो लगता है कि 7% भारतीय पूर्ण रूप से समृद्ध व सक्षम हैं। 20% उच्च-निम्न मध्य वर्ग है, जो अपने जीवन में संघर्षरत हैं। भरपूर मेहनत, आस्था व लगन से पहाड़ तोड़ने में लगा है। बाकी का लगभग दो-तिहाई बदहाली और अभावग्रस्त है। इस समस्या के समाधान स्वरूप सरकारें महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही है। इंधन व कर की दरें आसमान छूती जा रही है। बैंक अपना इंटरेस्ट रेट घटाते जा रहे हैं। आत्म दोहन का मार्ग छोड़कर आत्मनिर्भरता का मार्ग ही

एकमात्र विकल्प नजर आता है। हम जितना आयात करते हैं, उतना या उससे अधिक निर्यात करने की आवश्यकता है। कृषि-प्रधान देश है। उच्च तकनीक व सरल नीतियों द्वारा प्रोत्साहन की अत्यंत आवश्यकता है, सिर्फ जयकारा लगाने से काम नहीं बनेगा। आवश्यकता है एक कार्यप्रणाली की, जो सबको साथ लेकर चलें। प्रत्येक भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए बचत व निवेश बखूबी कर सके। वास्तव में अपने देश पर मान कर सकें। आर्थिक, मानसिक, व्यावहारिक स्वतंत्रता ही भारत को विश्व-गुरु कहलाने में सहयोग कर सकती है। वंदे मातरम!



अंजु कपूर

कार्यालय अधीक्षक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

ज़िंदगी

ज़िंदगी की इस आपाधापी में, हम भूल गए हैं कितना कुछ,
कुछ पल अपने ही जीवन के, बस छोड़ चले, कहाँ, मत पूछ।

सुबह हो गई, जागी फिर से, एक किरण उजियारे की,
पर देख के भी, नहीं देखा उसको, भटकें राह अंधियारे की।

बस होड़ में सब कुछ पाने की, अपने से ही यूँ लड़ते रहे,
ना देखा कभी भी प्रकृति को जी भर, सड़कों पर यूँ ही चलते रहे।

जीवन में बस ये सोचा कि बस पैसे की है ये दुनिया सारी,
ना बैठे कभी अपनों के बीच, बस देखी केवल ज़िम्मेदारी।

पर आज इस कदर कोरोना ने, सब को पीछे छोड़ दिया,
इस लॉकडाउन के दौर ने, अपनों का दामन जोड़ दिया।

ये कहर है कुदरत का, जो ना समझे हम उसका एक इशारा,
तोड़ दिया हर आईना प्यारा, जिनमें सिमटा था वो नज़ारा।

पर है मानव का चरित्र दोगला, मुश्किल में खड़ा हाथ जोड़,
ज्यूँ ही सब फिर मिल जाये तो, पल भर में सब वादे दे तोड़।

ईश्वर के इस संकेत को, अगर समझ ना पाए आज हम और तुम,
सब कुछ यूँ ही मिट जाएगा, बस हाथ ही मलते रह जाएंगे, हो जाएगा सब कुछ गुम।



अनिल ठाकुर

कार्यालय अधीक्षक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु जांच बिंदु स्थापित करना

संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन तथा मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों का अनुपालन तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य है।

राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन तथा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं:-

क्र. सं.	जांच बिंदु	उत्तरदायित्व
1	सामान्य आदेश / परिपत्र तथा अन्य कागजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों यथा संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों, प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों, संविदाओं और करारों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाएगा। अतः इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा।	सभी अधिकारी / अनुभाग
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।	सभी अधिकारी / अनुभाग
3	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना एवं पत्रशीर्ष को द्विभाषी रूप में तैयार करना। 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी (देवनागरी लिपि) में ही लिखे जाएं तथा 'ग' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते रोमन में लिखे जाएं। सीआर अनुभाग पत्रों को प्रेषण हेतु तभी स्वीकार करे, जब लिफाफों पर पते हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में लिखे हों। कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे पत्रशीर्ष हिंदी और अंग्रेजी में होंगे तथा हिंदी को प्रमुखता देते हुए उसे पहले / ऊपर रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी के अक्षर किसी भी दशा में अंग्रेजी के अक्षरों से छोटे न हों।	सभी अधिकारी / सीआर अनुभाग
4	रजिस्ट्रों एवं सेवा पुस्तिकाओं के शीर्ष और प्रविष्टियां राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत रजिस्ट्रों के प्रारूप एवं शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए तथा इनमें प्रविष्टियां भी हिंदी में की जानी चाहिए। इसी प्रकार सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक तथा शीर्ष नाम द्विभाषी होने चाहिए तथा इनमें प्रविष्टियां भी हिंदी में की जानी चाहिए। इस संबंध में रजिस्ट्रों एवं सेवा पुस्तिकाओं के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।	सभी अधिकारी / प्रशासन-1 अनुभाग

5	रबड़ की मोहरें, नाम-पट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित सामग्री (मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, नियमावली, रबड़ की मोहरें, नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट, साइन बोर्ड, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख, सीलें, विजिटिंग कार्ड, बैज / बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम आदि) द्विभाषी रूप में मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएंगी। उपरोक्त सामग्री से संबंधित अनुभागों विशेष रूप से प्रशासन-2 अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि उपरोक्त सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार की जाए।	सभी अधिकारी / प्रशासन-2 अनुभाग सहित सभी अनुभाग
6	‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रादि ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रादि अनिवार्यतः शत-प्रतिशत हिंदी में जारी किए जाएं क्योंकि इस संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य 100% है। इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की होगी।	सभी अधिकारी / सभी अनुभाग
7	द्विभाषी कम्प्यूटरों / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था वर्ष 2019-20 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटरों सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद करने के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। अतः भविष्य में उक्त उपकरणों की खरीद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे सभी उपकरण द्विभाषी रूप में कार्य करने में सक्षम हों। पहले से विद्यमान सभी कम्प्यूटरों / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को द्विभाषी बनाया जाए।	अनुभाग अधिकारी, प्रशासन-2 अनुभाग
8	आवेदन, अपील या अभ्यावेदन जब कोई कर्मचारी / अधिकारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में करता है या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में करता है तो राजभाषा नियम, 1976 के नियम 7 के अनुपालनार्थ उसका उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही दिया जाए। इसके लिए हस्ताक्षरकन्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।	सभी अधिकारी / सभी अनुभाग
9	विभागीय बैठकों की कार्यवाहियां मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में आयोजित होने वाली विभिन्न विभागीय बैठकों, स्थायी समितियों की बैठकों एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों, सम्मेलनों / संगोष्ठियों आदि की कार्यसूचियां एवं कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं तथा बैठकों की कार्यवाहियां हिंदी भाषा में संचालित की जाएं। इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने उत्तरदायित्व आयोजक अनुभाग का होगा।	सभी अधिकारी / सभी अनुभाग
10	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हिंदी में कार्य निष्पादन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अपना कार्य हिंदी में करें। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी द्वारा अपना कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी द्वारा अपना 75% से अधिक कार्य हिंदी में करना अपेक्षित है। संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता माननीय समिति को सूचित करनी होती है।	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य

11	ईमेल का प्रयोग ईमेल पत्राचार का अभिन्न अंग है, अतः ईमेल का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ईमेल भी हिंदी भाषा में की जाए। इस प्रयोजनार्थ कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में हिंदी का उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाए।	सभी अधिकारी / प्रशासन-2 अनुभाग
12	कार्यालय द्वारा निर्धारित / प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित / साइक्लोस्टाइल फॉर्म एवं मानक मसौदे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यालय द्वारा निर्धारित / प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित / साइक्लोस्टाइल फॉर्म एवं मानक मसौदे द्विभाषी रूप में तैयार एवं प्रकाशित किए जाने चाहिए। फार्मों आदि के हिंदी शीर्षक पहले दिए जाएं तथा हिंदी अक्षर अंग्रेजी के अक्षरों से छोटे न हों।	सभी अधिकारी / प्रशासन-2 अनुभाग
13	विज्ञापन जारी करने के संबंध में जहां तक संभव हो, अधिकांश विज्ञापन हिंदी में ही जारी किए जाएं। तथापि, कार्यालय द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए। हिंदी भाषा में विज्ञापनों की संख्या अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा / अंग्रेजी में दिए गए विज्ञापनों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली कुल राशि में से न्यूनतम 50% राशि हिंदी में विज्ञापन पर व्यय की जाए। हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाएं। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाए कि “अधिसूचना / विज्ञापन / रिक्ति संबंधी परिपत्र” का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका पूर्ण लिंक भी दिया जाए।	सभी अधिकारी / सभी अनुभाग
14	हिंदी पुस्तकों की खरीद जर्नल एवं मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तकों, सीडी / डीवीडी, पैन ड्राइव पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर न्यूनतम 50% राशि व्यय की जानी है।	सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी
15	वेबसाइट का द्विभाषीकरण मंत्रालय की वेबसाइट को पूर्ण रूप से द्विभाषी रूप में प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अतः प्रत्येक अनुभाग यह सुनिश्चित करे कि वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सामग्री द्विभाषिक रूप में उपलब्ध करायी जाए। एनआईसी केवल उन्हीं दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु स्वीकार करे, जो द्विभाषिक रूप में हों।	एनआईसी / आईटी / सभी अनुभाग / वेब इनफोर्मेशन मैनेजर
16	अनुपालन के संबंध में प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के प्रावधान के अनुसार कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है।	कार्यालयाध्यक्ष

आधुनिकता

(एक पुनर्विलोकन)

आधुनिकता हमारे लिए वरदान है या अभिशाप! इस कथन पर हम सबने कई निबंध लिखे व पढ़े हैं। परंतु नए वर्ष 2021 में पुनः इस कथन पर एक आत्मचिंतन परम आवश्यक है। वर्ष 2020 में हमने कोविड-19 नाम की एक ऐसी वायरस जनित बीमारी का सामना किया, जिसने मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। परंतु अगर हम ध्यान से इस बीमारी का विवेचन करेंगे तो हम पाएंगे कि इस बीमारी से पीड़ित अधिकतर शहर व उपनगर के लोग रहे हैं।

गांव के अधिकतर निवासी अपने कड़े परिश्रम के कारण इस बीमारी से अछूते रहे हैं। हम पुराने समय को देखते हैं जब सारे कार्य हाथों से होते थे, जिसमें परिश्रम लगता था व इंसान ज्यादा स्वस्थ रहता था। आधुनिकता ने ही हमें मनोरोग, मधुमेह, हाई ब्लडप्रेसर, हृदयघात व लकवा जैसी बीमारियों से परिचित करवाया। आधुनिकता के नाम पर हमने अपने खेतों को यूरिया से बंजर व जहरीला बना दिया। आज कैंसर जैसी बीमारी की अधिकता आधुनिकता की ही देन है। पाश्चात्य देशों ने अब ऑर्गेनिक खेती के महत्व को समझा है व इसे अपनाना भी शुरू कर दिया है। मोबाइल जैसे माध्यमों से मानव ने अपने कार्य जल्दी व सुगमता से करना शुरू किया है, परंतु सभी जानते हैं कि इसके कारण इंसान अपने लोगों से दूर होता जा रहा है तथा किसी परेशानी में आने के बाद भी वह अपने परिवार से कह नहीं पाता तथा दबाव में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सोचने लगता है। आधुनिकता के नाम पर हमने प्रकृति से ऐसा खिलवाड़ किया है

कि अब ग्लोबल वार्मिंग के निशान हमें हर जगह नजर आने लगे हैं। जगह-जगह बनाए गए बांधों के कारण नदी-नालों के प्राकृतिक रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे कालांतर में भयानक तबाही हो रही है। आज के समय जब बेरोजगारी अपने चरम पर है, उस समय सभी कार्य कम्प्यूटर व मशीनों से किए जाने पर बेरोजगार इंसान गलत कार्य में शामिल पाए जा रहे हैं। साइबर अपराध इसी का एक उदाहरण है।

अगर हम आज से 20-25 साल पहले के वातावरण, जलवायु एवं मानव व्यवहार की आज से तुलना करें तो हम पाएंगे कि पहले लोग गरीब थे, चीजों का अभाव था, परंतु वे स्वस्थ थे, संतोषी थे, इसलिए आज से ज्यादा खुशहाल जीवन बिताते थे। अब समय आ गया है कि हम सब आज के संदर्भ में पुराने समय का अवलोकन करें। आधुनिकता के नाम पर पुरानी नीतियों व मूल्य का अनादर न करें व एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि समय चाहे पुराना हो या नया, हर समय हमें अपना जीवन आनंदमय बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना होगा।



दीपक कुमार मीना

सहायक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

कविताएं

पर्वत कहता शीश उठाकर,
तुम भी ऊंचे बन जाओ।
सागर कहता है लहराकर,
मन में गहराई लाओ।
समझ रहे हो, क्या कहती हैं
उठ-उठ गिर-गिर तरल-तरंग
भर लो, भर लो, अपने दिल में
मीठी-मीठी मृदुल उमंग
पृथ्वी कहती घेर्य न छोड़ो
कितना ही हो सिर पर भार,
नभ कहता है फैलो इतना
ढक लो तुम सारा संसार।

एक बचपन का जमाना था,
जिसमें खुशियों का खजाना था,
जिसमें खुशियों का खजाना था...
चाहत चांद को पाने की थी,
पर दिल तितली का दिवाना था...
खबर ना थी कुछ सुबह की,
ना शाम का ठिकाना था...
थक कर आना स्कूल से,
पर खेलने भी जाना था...
मां की कहानी थी,
परियों का फसाना था...
बारिश में कागज की नाव थी,
हर मौसम सुहाना था...

उर्मिला

अवर श्रेणी लिपिक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



मेरी आँखों में आँसू हैं...

मेरी आँखों में आँसू हैं... मगर मैं रो नहीं सकता...
सफलता के पंख कटे तो क्या, कुछ हो नहीं सकता?
मेरी आँखों में आँसू हैं... मगर मैं रो नहीं सकता...
लोग ताने कसते हैं... मेरी दुर्दशा पर हंसते हैं
तानों के ऐसे बोझ को, अब मैं ढो नहीं सकता
मेरी आँखों में आँसू हैं... मगर मैं रो नहीं सकता...
आशाएं मां-बाप की जुड़ी हैं मुझसे
चला था जब घर से... वादा किया था खुद से
मुश्किल कैसी भी हो... आत्मविश्वास को खो नहीं सकता
मेरी आँखों में आँसू हैं... मगर मैं रो नहीं सकता...
गम के काले बादल छा गए तो क्या
मुश्किलों के तूफान आ गए तो क्या
एक रात के बाद अरुण ना आए, ऐसा हो नहीं सकता
मेरी आँखों में आँसू हैं... मगर मैं रो नहीं सकता...
हारी बाजी को मैं जीत कर दिखाऊँगा
दिन-रात एक करके, अपनी मंजिल को पाऊँगा
पथ कैसा भी क्यों ना हो
बिना मंजिल को पाए अब मैं सो नहीं सकता
मेरी आँखों में आँसू हैं... मगर मैं रो नहीं सकता...



दीपक कुमार जैन

कार्यालय अधीक्षक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

चलो गांव की ओर चलें

सुबह उठते ही पत्नी ने कहा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या। आखों को मसलते हुए मन बड़ा ही व्यथित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज फिर एक और दिन ऑटो लेना है, मेट्रो की लाइन में लगना है, ऑफिस की लिफ्ट का इंतजार करना है और वो ही ऑफिस का कार्य, जिसे फाइल – फाइल खेलना, कहना कम ना होगा। सारा दिन इस जुगाड़ में निकल जाता है कि इस ऑफिस-गेम का मैं कहीं शिकार ना हो जाऊं। शाम होते ही पैरों के तलवे व सिर तनाव से गर्म हो चुके होते हैं। ऑफिस से निकलते ही घर में पत्नी द्वारा सौंपी गई लिस्ट को पूरा करने के लिए कभी इस दुकान, कभी उस दुकान, फिर भी बंद कमरों में अवसादग्रस्त परिवार, विशेषकर पत्नी, आपके अस्तित्व पर, लिस्ट की आपूर्ति पर सवाल करती है। रात का खाना किसी

तरह ठूंसा जाता है, यह सोचकर कि फिर सुबह जल्दी उठना है। यह लिखते समय एक मिनट मैं उन क्षणों में खो गया, जब मैं बचपन रूपी सागर में आनंदित था। घर कच्ची मिट्टी व छपरे से बना था, जिसमें गर्मी में भी आकर ठंडक महसूस होती थी। गावों में सुबह-सुबह सिर्फ पशु-पक्षियों की आवाजें या फिर गांव की स्त्रियों द्वारा सुबह-सुबह मक्खन मथना, चक्की चलाना, मानो एक अलग ही संसार था। पुरुषों द्वारा अहले सुबह अपने बैलों को लेकर खेतों को जोतना, मानो सूर्य देवता स्वयं उस मेहनत को निहार रहे हैं। समय का पहिया द्रुत गति से दौड़ता गया और मैं उस स्वर्गमयी संसार को छोड़कर वर्तमान धरातल पर सिर्फ और सिर्फ इस आस में कदम बढ़ा रहा हूँ, शायद उम्र के साथ मैं अपने गांव लौट सकूँ।

गौतम कुमार भारती

सहायक, राजभाषा शाखा
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



वर्ष 2020-2021 के दौरान खरीदी गई पुस्तकों की सूची

क्र. सं.	पुस्तक सं.	पुस्तक का शीर्षक	क्र. सं.	पुस्तक सं.	पुस्तक का शीर्षक
1	1185	कंकाल	28	1284	शरतचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां
2	1186	सारा आकाश	29	1285	बड़ी दीदी
3	1187	नया विधान	30	1286	ब्राह्मण की बेटी
4	1188	मधुमती	31	1287	तारों तले अंधेरा
5	1189	ठहरे हुए पलों में	32	1288	भारतीय राष्ट्र आंदोलन और राष्ट्रवाद
6	1190	सरस्वती - सदानारा	33	1289	जमुना के तीर
7	1191	योग एवं स्वास्थ्य	34	1290	हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास
8	1192	अंधी भीड़	35	1291	हिंदी कहानी: अंतरंग पहचान
9	1193	स्वच्छ भारत अभियान	36	1292	संघर्ष की ओर
10	1194	आपबीती	37	1293	सामने देखो
11	1195	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक जीवन	38	1294	मानसी गंगा
12	1196	ताजमहल का टैंडर	39	1295	यहां से वहां
13	1197	भारत में मानव अधिकार	40	1296	औरत जो नदी है
14	1198	लोकनायक राम	41	1297	हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक संवेदना
15	1199	विश्व विख्यात व्यक्तित्व	42	1298	स्त्री की दुनिया
16	1200	गरीब लोग	43	1299	हिंदी भाषा की परंपरा, प्रयोग और संभावनाएं
17	1201	एल्टेशेव परिवार की कहानी	44	1300	जनतंत्र एवं संसदीय संवाद
18	1202	हमारे धार्मिक नगर	45	1301	हिंदू मिथक: आधुनिक मन
19	1203-1275	अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश	46	1302	मैं हिंदू क्यों हूँ
20	1276	संपूर्ण चाणक्य नीति एवं चाणक्य सूत्र	47	1303	तालाबंदी
21	1277	चंद्रगुप्त	48	1304	अंतिम अरण्य
22	1278	सरदार पटेल, व्यक्तित्व, विचार एवं राष्ट्र निर्माण	49	1305	स्टार्ट अप गाइड
23	1279	कायाकल्प	50	1306	दूसरा पक्ष
24	1280	मेघदूत	51	1307	भारत में पब्लिक इंटेलेक्चुअल
25	1281	श्रृंखलित	52	1308	निबंध निलय
26	1282	मनोहर श्याम जोशी की कहानियां	53	1309	हिंदी भाषा: अतीत से आज तक
27	1283	कर्बला			

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ईमेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 90% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6	हिंदी में डिक्टेशन / कीबोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8	हिंदी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9	जर्नल एवं मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी / डीवीडी, पैन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%

10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%
11	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे.सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण विदेश में स्थित केंद्र के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
		25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16	मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / बैंकों / उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो।	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों / निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।		

हिंदी ज्ञान संबंधी परिभाषाएं

1. **हिंदी में प्रवीणता - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, यदि उसने-**
 1. मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; अथवा
 2. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; अथवा
 3. यदि वह यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।
2. **हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने-**
 1. मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; अथवा
 2. केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है; अथवा
 3. केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्धारित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; अथवा
 4. यदि वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

लॉकडाउन का अनुभव

हम सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। भारत में भी यह महामारी वर्ष 2020 के शुरुआत से ही आने का अंदेशा होने लगा था। इस महामारी से उत्पन्न विवशता को देखते हुए भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया ताकि यह भयंकर महामारी भारत में बड़े पैमाने पर न फैल पाए। इस लॉकडाउन के दौरान एक आम आदमी के मन में क्या-क्या द्वंद्व आते-जाते रहे, उन्हीं अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ।

जब कोरोना महामारी के कारण भारत में पहला (एक दिवसीय) लॉकडाउन 21 मार्च को लगाया गया तो लोगों ने इसमें बड़-चढ़ कर भाग लिया और इसमें शामिल होना अपना कर्तव्य समझा। लोगों ने इसमें ताली-थाली, घंटा-घंटी से लेकर ड्रम-बिगुल तक बजाकर इसको बड़े पैमाने पर सफल बनाया। लोगों को लगा यह आयोजन (मैच) सिर्फ एक दिवसीय होगा, परंतु लोगों का यह भ्रम मात्र था। असली कई महीनों का टेस्ट मैच आगे खेलना बाकी था। और वही हुआ, जिसका सबको अंदाजा नहीं था। शाम होते-होते कई राज्यों की सरकारों ने पंद्रह दिन से लेकर एक महीने तक का लॉकडाउन लगा दिया। दूसरी तरफ इस सबसे एक कदम बढ़ते हुए केंद्र की सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे भारतवर्ष में एक महीने का कर्फ्यू जैसा सख्त लॉकडाउन लगा दिया, जो लगातार 3-4 महीने से अधिक चला। अब जो लोग एक दिन के लॉकडाउन को जश्न की तरह मना रहे थे और थाली-ताली पीट रहे थे, अब वही लोग घर में रहने को विवश थे। इस दौरान लोग अपने-अपने घरों में रह कर तरह-तरह की हरकतें करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और दूसरी ओर वही वीडियो देख-देखकर अन्य लोग अपना टाइम पास कर रहे थे। दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा वर्ग भी था, जो इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान था, वो थे प्रवासी एवं दिहाड़ी मजदूर भाई-बहन, जो रोज मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उस लॉकडाउन के दौरान इन लोगों की लाचारी समाज को स्पष्ट दिखाई दी। कई मजदूरों को रेल की पटरियों तथा राजमार्गों के सहारे सपरिवार पलायन करते देखा गया। इस दौरान समाज के कई वर्गों एवं स्थानीय पुलिस का मानवीय चेहरा भी लोगों को देखने के लिए मिला। ये सभी प्रवासी मजदूरों की

मदद करते दिखाई दिए। इस यात्रा के दौरान कई मजदूरों ने अपने प्राण भी गंवा दिए, जो इस लॉकडाउन का सबसे दुखद पहलू था।

इस लॉकडाउन में एक बात जो सबसे अच्छी रही, वो यह है कि आम आदमी को इस दौरान अपने परिवार के साथ रहने एवं आत्मचिंतन करने का भरपूर मौका मिला। लॉकडाउन ने मानव जाति को यह सिखा दिया है कि मनुष्य को अपने लिए अत्यधिक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इन सब के अभाव में भी मानव जीवन आरामदायक तरीके से चल सकता है। मनुष्य बेमतलब की प्रतिस्पर्धा में पड़े बिना एवं किसी उच्च महत्वाकांक्षा के बगैर भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। भारत में इस तरह का लॉकडाउन भारत के लोगों के लिए एक नया अनुभव था। इस दौरान लोग एक-दूसरे की मदद करते दिखाई दिए। इस लॉकडाउन ने लोगों में अपनत्व का एक नया संचार कर दिया था। चूंकि कोरोना रुपी महामारी अभी भी भारत से गई नहीं है, परंतु इस महामारी के कारण लॉकडाउन ने भारतवासियों को एक नई सीख देने का भी कार्य किया है। मेरी राय में लॉकडाउन ने भारतवासियों को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने और एकजुट करने का कार्य किया है।



अनिल कुमार वर्मा
अवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी. औषधालय, आजादपुर

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज

1. सामान्य आदेश, अर्थात् ऐसे आदेश, अनुदेश, निर्णय, पत्र, ज्ञापन, नोटिस, परिपत्र जो कर्मचारियों के समूह के लिए हों। (General Orders)
2. अधिसूचना (Notification)
3. विज्ञापन (Advertisement)
4. संविदा (Contract)
5. लाइसेंस (License)
6. अनुज्ञा पत्र (Permit)
7. करार (Agreement)
8. संकल्प (Resolution)
9. नियम (Rule)
10. प्रेस-विज्ञप्ति (Press-Communiques)
11. सूचना (Notice)
12. निविदा प्रारूप (Tender Forms)
13. संसद में प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन (Administrative and other reports to be laid in Parliament)
14. संसद में प्रस्तुति हेतु राजकीय कागजात (Official papers to be laid in Parliament)

बाबा की रानी हूँ



ध्रुव प्रसाद

सहायक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बह जाना है जिसे, दो पल कहानी हूँ।

अम्मा की बिटिया हूँ, आँगन की मिटिया हूँ
टूक-टूक निहारे जो, परदेशी चिठ्ठीया हूँ

ममता के आँचल में, जो गीत गाए हैं।
बाबुल ने छुट-पुट जो, सपने सजाए हैं।
वो याद आएँगे, गुप-चुप रुलाएँगे।
डोली के संग मेरे, जब साथ जाएँगे।

बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बह जाना है जिसे, दो पल कहानी हूँ।

खिल-खिल के हंसना यह, सखियों की बातों पे
अनजान नामों की, मेहंदी ये हाथों पे
जब रंग लाएंगी, रिमझिम घिर आएंगी
आँखें घटाओं-सी, बूंदे गिराएंगी

बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बह जाना है जिसे, दो पल कहानी हूँ।

बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ।
बह जाना है जिसे, दो पल कहानी हूँ।

अम्मा की बिटिया हूँ, आँगन की मिटिया हूँ।
टूक-टूक निहारे जो, परदेशी चिठ्ठीया हूँ।
परदेशी चिठ्ठीया हूँ, परदेशी चिठ्ठीया हूँ।



क.रा.बी. निगम हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार स्वीकृति - वर्ष 2019

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम	कर्मचारी कोड	तैनाती स्थान
1	अनिल कुमार ठाकुर	कार्यालय अधीक्षक	104355	डी.पी.सी.-2, क्षे.का., दिल्ली
2	नकुल कुमार रजक	सहायक	148823	डी.पी.सी.-2, क्षे.का., दिल्ली
3	राहुल	उच्च श्रेणी लिपिक	171483	डी.पी.सी.-2, क्षे.का., दिल्ली
4	शुभम गोसाई	बहुकार्य कर्मचारी	168561	डी.पी.सी.-2, क्षे.का., दिल्ली
5	राकेश कुमार	प्रधान लिपिक	110479	ज्वालापुरी औषधालय
6	अंकुश चट्टा	उच्च श्रेणी लिपिक	172898	ज्वालापुरी औषधालय
7	राधेश्याम पाल	उच्च श्रेणी लिपिक	105576	स्थापना शाखा - 1
8	रमेश चंद	निम्न श्रेणी लिपिक	111691	तिलक विहार औषधालय
9	निर्मल चंद्र तिवारी	उच्च श्रेणी लिपिक	103343	प्रशा.-2, क्षे.का., दिल्ली
10	रजत चौधरी	उच्च श्रेणी लिपिक	173370	प्रशा.-2, क्षे.का., दिल्ली
11	सतीश कुमार	कार्यालय अधीक्षक	104371	रोकड़ शाखा
12	श्याम सुन्दर	सहायक	105570	रोकड़ शाखा
13	राजेश कुमार	खजांची	149193	रोकड़ शाखा
14	पिंटू राम मीणा	उच्च श्रेणी लिपिक	171482	रोकड़ शाखा
15	दीक्षा शर्मा	उच्च श्रेणी लिपिक	171481	रोकड़ शाखा
16	विजय कुमार	निम्न श्रेणी लिपिक	105804	रोकड़ शाखा
17	जय भगवान	निम्न श्रेणी लिपिक	110421	रोकड़ शाखा
18	रामानुज कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	147967	चिकित्सा शाखा - 1
19	विजय कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	148783	चिकित्सा शाखा - 1
20	दीपक कुमार मीणा	सहायक	147918	स्थापना शाखा - 3
21	ऋषिपाल	सहायक	105145	आर.टी.आई. कक्ष
22	जितेन्द्र कुमार	सहायक	110424	चिकित्सा शाखा - 2
23	फूलकंवार शर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	123116	चिकित्सा शाखा - 2
24	अनिल कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	144848	चिकित्सा शाखा - 2
25	हरीश चन्द्र	निम्न श्रेणी लिपिक	111690	चिकित्सा शाखा - 2
26	अखिलेश मीणा	निम्न श्रेणी लिपिक		नोएडा अस्पताल

मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन पुरस्कार प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार स्वीकृति - वर्ष 2019-20

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ कुमारी)	पदनाम	कर्मचारी कोड	तैनाती स्थान	पुरस्कार	पुरस्कार
1	श्याम सुंदर	सहायक	105570	रोकड़ शाखा	प्रथम पुरस्कार	5000/-रु.
2	ऋषिपाल	सहायक	105145	आर.टी.आई. कक्षा	प्रथम पुरस्कार	5000/-रु.
3	राजेश कुमार	उ.श्रे.लि.	149193	रोकड़ शाखा	द्वितीय पुरस्कार	3000/-रु.
4	जितेंद्र कुमार	सहायक	110424	चिकित्सा शाखा-2	द्वितीय पुरस्कार	3000/-रु.

वर्ष 2020 के राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के परिणाम।

दिनांक 01-09-2020, निबंध प्रतियोगिता			
1	विजय कुमार, अ.श्रे. लिपिक, रोकड़ शाखा	प्रथम पुरस्कार	1800/-रु.
2	राजेश कुमार मौर्य, सहायक, भर्ती शाखा-2	द्वितीय पुरस्कार	1500/-रु.
3	नवीन वत्स, सहायक, रोकड़ शाखा	तृतीय पुरस्कार	1200/-रु.
4	नितिश मेहरा, सहायक, चिकित्सा शाखा-2	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
5	रविन्द्र कौर, निजी सचिव, प्रशासन	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
दिनांक 02-09-2020, टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता			
1	अनिल ठाकुर, कार्यालय अधीक्षक, डी.पी.सी.-2, क्षे.का.	प्रथम पुरस्कार	1800/-रु.
2	राजेश कुमार मौर्य, सहायक, भर्ती शाखा-2	द्वितीय पुरस्कार	1500/-रु.
3	विजय कुमार, अ.श्रे. लिपिक, रोकड़ शाखा	तृतीय पुरस्कार	1200/-रु.
4	नवीन वत्स, सहायक, रोकड़ शाखा	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
5	संजय कुमार, प्र.श्रे. लिपिक, रोकड़ शाखा	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
दिनांक 03-09-2020, राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता			
1	दीपक कुमार मीना, सहायक, स्थापना शाखा-3	प्रथम पुरस्कार	1800/-रु.
2	नवीन वत्स, सहायक, रोकड़ शाखा	द्वितीय पुरस्कार	1500/-रु.
3	विजय कुमार, अ.श्रे. लिपिक, रोकड़ शाखा	तृतीय पुरस्कार	1200/-रु.
4	संजय कुमार, प्र.श्रे. लिपिक, रोकड़ शाखा	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
5	रविन्द्र कौर, निजी सचिव, प्रशासन	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
दिनांक 04-09-2020, हिंदी वाक् प्रतियोगिता			
1	अनिल ठाकुर, कार्यालय अधीक्षक, डी.पी.सी.-2, क्षे.का.	प्रथम पुरस्कार	1800/-रु.
2	नवीन वत्स, सहायक, रोकड़ शाखा	द्वितीय पुरस्कार	1500/-रु.
3	रविन्द्र कौर, निजी सचिव, प्रशासन	तृतीय पुरस्कार	1200/-रु.
4	नितिश मेहरा, सहायक, चिकित्सा शाखा-2	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.
5	विजय कुमार, अ.श्रे. लिपिक, रोकड़ शाखा	प्रोत्साहन पुरस्कार	500/-रु.

आज़ादी और देश प्रेम

देशभक्तों के कारण ही हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। लेकिन हम में से कितने लोगों को आज़ादी का सही अर्थ मालूम है? मेरी राय में असली आज़ादी ज़िम्मेदारी के बिना अधूरी है। आज़ादी व ज़िम्मेदारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ज़िम्मेदारी के बिना आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है।

आज़ादी का सही अर्थ हमें आज समझने की जरूरत है। हमारी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे, लाठी खाई, गोली खाई, जेलों में बंद रहे और यहाँ तक कितने लोग तो फांसी पर लटक गए। क्या कभी हमने यह सोचा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो सब अपने देश से और देश के लोगों से प्रेम करते थे। इस प्रेम के कारण ही उन्होंने अपना सब कुछ देकर हमें यह आज़ादी दिलवाई।

आज हम अपनी आज़ादी का आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहे हैं? यह सवाल हम सब को अपने आप से ईमानदारी से पूछने की जरूरत है। क्या हम उन हजारों शहीदों के त्याग व बलिदान का अपमान तो नहीं कर रहे? हमें अपनी आज़ादी के सम्मान में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही लाठी-गोली खानी है, ना ही जेल में जाना है और न ही फांसी पर चढ़ना है। केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें जो कार्य मिला है, उसको पूरी मेहनत और इमानदारी से करें और कोई ऐसा काम ना करें, जिससे देश को या देश के लोगों को कोई हानि पहुंचे या देश की उन्नति में कोई बाधा बने।

मैं तो एक साधारण बात जानता हूँ कि जिस तरह हम अपने परिवार के हित में सब निर्णय लेने के लिए आज़ाद होते हैं और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इस आज़ादी और प्रेम के कारण ही हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारियों को पूरी लगन और मेहनत से निभाते हैं, जिसके कारण ही हमारा परिवार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। अगर ये ही रिश्ता हम सब अपने देश के संबंध में निभाते हैं, तो सही मायने में आज़ादी का सम्मान होगा और सही मायने में देशप्रेम होगा।



विनोद कुमार

सहायक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



कविता

नई सदी से मिल रही, दर्द भरी सौगात।
बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात।
पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज।
कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज।
भाई भी करता नहीं, भाई पर विश्वास।
बहन पराई हो गई, साली खासमखास।
मंदिर में पूजा करे, घर में करे क्लेश।
बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश।

बच्चे कहां अब शेष हैं, दया, धरम, ईमान
पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान
पत्थर के भगवान को, लगते छप्पन्न भोग
मर जाते फुटपाथ पर, भूखे-प्यासे लोग।
फैला है पाखंड का, अंधकार सब और
पापी करते जागरण, मचा-मचा कर शोर
पहन मुखौटा धरम का, करते दिनभर पाप
भंडारे करते फिरें, घर में भूखा बाप

उर्मिला

अवर श्रेणी लिपिक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



डाक-टिकट संग्रह



डाक-टिकट का यह संसार
इंद्रधनुष-सा यह संसार
इससे है हम सबको प्यार

पुत्र-पिता या दादा-पोता
इससे नहीं है कोई अछूता

लाल-पीला, नीला-हरा
हर रंग है इसमें भरा

डाक-टिकट में हर रंग समाया
तभी तो यह हम सबको भाया

देश की शान, देता हमें ज्ञान
चाहे इतिहास हो या विज्ञान

यह मिटाता है अज्ञान
सबको बाटें प्रचंड ज्ञान

राजा, नेता, सैनिक, सेनानी
इसमें समाहित पंडित, ज्ञानी

नेता, अभिनेता या संगीतकार
यह करता है सबका सत्कार

मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा
इसमें समाया है जग सारा

डाक-डिकट संग्रह ज्ञान
फिलाटेल्ली का यह विज्ञान
बढ़ाता सबका है यह ज्ञान



देवेन्द्र कुमार

सहायक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

संपूर्ण भ्रम



कुदरत ने सभी जीवों पर उनकी महत्ता के आधार पर अपने सभी तत्वों को बराबर न्यौछावर किया है। जब कुदरत किसी जीव में कोई भेदभाव नहीं करती तो यह तथाकथित जीव मानव अपनी कौन-सी क्षमता के आधार पर भेदभाव करता है। ऐसा क्या है, जो इस मानव जीव ने संसार के कल्याण हेतु किया है। कोई पुरुष या महिला काला या काली है, बौने हैं, दुबले हैं या फिर जरूरत से ज्यादा मोटे। शरीर में कोई जन्म से विकृति के कारण कुबड़ापन या विकलांगता हो गई है। इन सब के कारण जो संपूर्ण परमावतार मानव हैं, वे दूसरों को निकृष्ट निगाह से देखते हैं या भेदभाव करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दुष्प्रचार भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। कोई कंपनी एक सप्ताह में रंग साफ करने का दावा करती है, तो कोई एक सप्ताह में हाईट बढ़ाने का नुस्खा बताती है। इन सब से भ्रमित संपूर्ण परमावतार मानव अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है तथा अपने-अपने कार्यस्थल में इसको बढ़ावा देता है। इस प्रकार के लोग यह भूल जाते हैं कि उनका खुद का शरीर अस्थायी है। शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति आज के माहौल में कभी-भी हो सकती है। धक्के खाने के बाद उसको अहमास होता है कि उसके वचनों से दूसरों को कितना कष्ट होता है। इस संसार में हर इंसान अपने आप में श्रेष्ठ है, हर किसी में उसकी रुचि के अनुसार असीम कौशल छुपा हुआ है। जरूरत है उस चीज को बाहर लाने की और खाद और पानी देने की।

दीपक कुमार मीना

सहायक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



प्रिय तुम बिन

पूस की ठिठुरती सुबहें
परियों के लिबास-सी
सफेद उजले कोहरे में लिपटी
भीगी हुई गलियाँ।
ओस में लबालब
गहरे - हरे
चुप-चुप खड़े
पेड़ और पौधे।
भीतर गहरे तक जाने वाली
मन को खुशी से सराबोर करने वाली
भीगी - भीगी
मदिर - मधुर
ठंडी-सी छूअन
सर्द खुशबू वाली!

अलमस्त आलसी
गोल - मोल
डुल - मुल, डुल - मुल
मासूम, खूबसूरत
नींद में जागा हुआ
अंगड़ाईयाँ लेता
बस शाम की राह तकता
नन्हा - नन्हा
छोटा-सा दिन!

कभी सलेटी
कभी सिंदूरी चुनर ओढ़े
चुपके-से आती गोधूली
पल भर में काजल लगाए
कजराती, गहराती गोधूली!

अपने रंग में उतरती - गहराती
सब कुछ समेटती
खुमारी भरी
स्वप्नीली - सजीली
धुंध के बादलों वाली
बर्फीली, सीली - सीली
सर्द - स्याह रात!

माघ का मस्त महीना।
खुशगवार, हल्के - प्यारे
नर्म, खूबसूरत
कच्ची धूप में नहाए हुए
थोड़े सर्द, थोड़े गुनगुने
खिले - खिले दिन!

सूखे पत्तों से खेलती
नहीं कलियों को छेड़ती
कोमल कोंपलों को सहलाती
इस गली से उस गली
घूमती - डोलती
इठलाती, इतराती
चंचल, अल्हड़
बावरी - बयार!

शर्मीली उजली
निखरी - निखरी संध्या।
आँगनों और सड़कों पर
बढ़ती हुई चहलकदमी
नन्हों की किलकारियाँ
पानी में डूबती, उतराती

मुस्कुराती क्यारियाँ।
बालकों के खेले
बालिकाओं के घेरे।
सुर में गूँजते
गलियों में घूमते
फेरी वालों के फेरे।
किशोरों का ताकना
कुँवारियों का झाँकना।
गलियों के ठहाके
छतों और मुँडेरों की मुस्कुराहटें।

थकी मांदी पस्त रात
बोज़िल अँखियों के स्वप्न में
अपार उल्लास।
उत्सवों के आगमन का
बसंत ऋतु मन भावन का।

पीली सरसों से सजी
टेसू के रंगों में रंगी
छैल - छबीले
रँगीले - सजीले
फूलों की फौज वाले
फागुन की पालकी!

चमकीला जगमगाता
काँच के जैसा साफ
स्वच्छ - निर्मल
झिलमिल - झिलमिल आकाश!

फूलों से लदी पड़ी
रंगों में रंगी - बिखरी
मुस्काती खिलखिलाती
अपने प्रेमी व्योम को रिझाती
अपना रूप लावण्य दिखाती
प्रणय - आमंत्रणी
नवयौवना - प्रेयसी
सोलह श्रृंगारित वसुधा!

चहकते फूल
महकती कलियाँ
बादलों के रंग
पंछियों के संग
उड़ती पवन
बहकती फ़िज़ा
ये खूबसूरत नज़ारे सभी
ये संपूर्ण सृष्टि की
अनश्वर, अनुपम
अद्भुत, अमिट छवि
ये दिन - रैन
ये पल - छिन
ये मेरे कैशौर्य के बासंती दिन
सब कुछ
सभी कुछ
प्रिय बेमानी है तुम बिन....!



माया कुमारी
प्रवर श्रेणी लिपिक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

रे मनुज, तुम धीर धरो

वो घड़ी भी ऐसी आएगी,
पराजय की निशा भी जाएगी.
खुद को जग के दल से दूर करो,
रे मनुज, तुम धीर धरो.

ये हार की रजनी आएगी,
मन-मस्तिष्क पर छाएगी.
अंतर्मन के रिपु को दूर करो,
रे मनुज, तुम धीर धरो.

जय-पराजय हयात में आएगा,
आकर सब चला जाएगा.
उर के रिपु को दूर करो,
रे मनुज, तुम धीर धरो.

वो पट्ट पराजय तट पर आएगा,
विजय की प्रभात खिल आएगा.
जीवन के मार्ग प्रशस्त करो,
रे मनुज, तुम धीर धरो.



आयुष कुमार
प्रवर श्रेणी लिपिक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली



आज की व्यथा

डट कर करो सामना, आज कोई डरो ना,
मन की डोर थाम लो, सोचो क्या है ये कोरोना ।

ज़िंदगी थम गई है, पर प्रकृति ने ली है उड़ान,
कुछ पल घर में बैठ कर, बना लो एक नई मचान।

कुछ तो हमने भी किया है, प्रकृति से खिलवाड़,
छीना है परिंदो से घरौंदा, बंद किये थे उनके किवाड़।

ये तांडव है प्रभु का, समझो उनका ये इशारा,
जीवन मिला है हमको, पृथ्वी पे सबसे नयारा।

धरोहर है ये ईश्वर की, हमें पृथ्वी की दी है कमान,
पूजा करो इनकी, ये वृक्ष, नदी, खेत और खलिहान।

ईश्वर ने दे कर चेतवानी, फिर से पृथ्वी को है संभाला,
अब रहने दो आसमां को नीला, नहीं करना उसे काला।

उड़ने दो परिंदों को, खुल के इस नील गगन में,
बहने दो मछलियों को, नीले साफ समुंदर में।

ये काल बन कर आया है, पर एक साफ हवा का दौर है।
मानव को दिया है एक और मौका, वरना काल पे किसका ज़ोर है।
किसका जोर है।



अनिल ठाकुर

कार्यालय अधीक्षक
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

संस्कार-नये दौर का

तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है।
और तू मेरे गाँव को गंवार कहता है।।

ऐ शहर! मुझे तेरी औकात पता है।
तू बच्ची को भी हुस्न-ए-बहार कहता है।।

थक गया है हर शख्स काम करते-करते।
तू इसे अमीरों का बाजार कहता है।।

गाँव चलों, वक्त ही वक्त है सबके पास।
तेरी सारी फुर्सत तेरा इतवार कहता है।।

मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाये जा रहे हैं।
तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है।।

जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा।
तू उन माँ-बाप को अब भार कहता है।।

वो मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे।
तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है।।

बड़े-बड़े मसले हल करती थी पंचायतें।
तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है।।

बैठ जाते थे अपने-पराये सब बैलगाड़ी में।
पूरा परिवार भी ना बैठ पाये उसे तू कार कहता है।।

बच्चे भी बड़ों का अदब भी भूल बैठे हैं।
तू इसे नये दौर का संस्कार कहता है।।



प्रभात रंजन

सहायक

क.रा.बी. औषधालय, आई-ब्लॉक

है फर्ज तेरा

माता-पिता की सेवा करना
है फर्ज तेरा, अहसान नहीं।
इनकी सेवा से बढ़कर भाई
कोई इस जग में दूजा तीर्थस्थान नहीं।

तेरे बचपन में सुन मेरे भाई
मां कितने कष्ट उठाती थी।
तुझे सुलाकर सूखे में वो,
खुद गीले में सो जाती थी।
तू मंदिर-मस्जिद फिरे घूमता,
उस पत्थर में कोई भगवान नहीं।
इनकी सेवा से बढ़कर भाई,
कोई दूजा तीर्थस्थान नहीं।

खून-पसीना वो अपना बहाकर,
पिता जो भी धन कमाता था।
तेरी करता था सब मनचाही,
खुद भूखा ही सो जाता था।
माता-पिता से बड़ा हितैषी,
कोई दूजा और इंसान नहीं।
माता-पिता की सेवा करना,
है फर्ज तेरा, अहसान नहीं।


मां सा निश्छल प्रेम कहाँ है।
कहीं और जगत में भाई।
तेरे मुह से 'मां' ही निकला है,
जब-जब तूने ठोकर खाई।
जो माता-पिता का करे निरादर,
भाई, पशु है वो इंसान नहीं,
इनकी सेवा से बढ़कर भाई
कोई दूजा तीर्थस्थान नहीं।



रमेश चंद पवार

अवर श्रेणी लिपिक

क.रा.बी. औषधालय, तिलक विहार



आज और कल

जिंदगी की शकल, यूं गई है बदल
ये कहां खो गया, अपना वो कल
कोई अपना नहीं, सच्चा सपना नहीं
धूल साफ हो गई, सूरत देखी असल

टूटे बंधन सभी, शायद ही जुड़े अब कभी
उम्र हो गई खत्म, रिश्ते गए सब बदल
जिए जिनके लिए, मिटे जिनके लिए
भूलकर उसने, दिया भलाई का फल

पास अब कुछ नहीं, आस अब कुछ नहीं
लूट-पिट चुके जब, तो हमें आई अक्ल
है दुनिया वही, दुनियावाले वही
चेहरे लेकर नए, लोग आए निकल

दिल में अरमान लिए, हम तो यूं ही जिए
चाह के भी न कर सके, रुख जिंदगी का बदल
जिंदगी मिली झमेला, झेला इसे अकेला
दिल कहे बस, अब तो इस दुनिया से निकल।



लता वर्मा

सहायक

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली

कविता

मुझे याद आ रहा है,
वो गुजरा जमाना।
कोई लौटा दे मेरा,
वो वक्त पुराना।

वो लोगों का प्यार,
और आपस का मेला।
वो कुश्ती-कबड्डी,
गिल्ली-डंडे का खेल।

बसंत ऋतु का,
वो मौसम सुहाना।
मुझे याद आ रहा है,
वो गुजरा जमाना।

सावन की घटाएं,
वो तीजों की झूल।
पगडंडी से उठती,
वो शाम की धूल।

शरमा के गोरी का,
वो घूंघट गिराना।
मुझे याद आ रहा है,
वो गुजरा जमाना।

बाजरे की रोटी,
और सरसों का साग।
सर्दी के मौसम में,
वो हांडी की आग।

बैलगाड़ी में बैठकर,
वो मेले में जाना।
मुझे याद आ रहा है।
वो गुजरा जमाना।

पनघट पे गाती,
पनडारियों के गीत।
घूंघट और गाती की,
वो पुरानी-सी रीत।

शरमा के गोरी का,
वो नाखून चबाना।
मुझे याद आ रहा है,
वो गुजरा जमाना।

सावन के झूले,
और फागुन की मस्ती।
वो बारिश का पानी,
और कागज की किशती।

सारंगी वाले उस,
जोगी का तराना।
मुझे याद आ रहा है,
वो गुजरा जमाना।

रमेश चंद पवार
अवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी. औषधालय,
तिलक विहार



दिनांक 22-01-2021 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण कार्यक्रम की झलकियां





महिला दिवस कार्यक्रम 2021 की झलकियां



क.रा.बी. निगम पखवाडा-2021 के दौरान

हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी की झलकियां

